प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

हत्या के प्रयास के अभियोग में अभियुक्त को हुई 05 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारी को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

जिसके क्रम में थाना पिसांवा से सम्बन्धित मु0अ0सं0 22/12 धारा 307/504/506/34 भादवि बनाम राजू उर्फ राजीव कुमार पुत्र चन्द्रभाल निवासी ग्राम महमदापुर थाना पिसांवा जनपद सीतापुर में पिसांवा पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 10.09.2021 को विचारण पूर्ण कर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-06 सीतापुर द्वारा अभियुक्त राजू उर्फ राजीव कुमार उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 307 भा.द.वि में 05 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000/- अर्थदण्ड तथा धारा 504/506 भा.द.वि में एक-एक वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी।

---------------O---------------